सहकारिता विभाग				
क्र. सं.	**योजना/कार्यक्रम एवं सेंवाएँ**	**योजना/कार्यक्रम एवं सेंवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ**	**व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता है।**	**स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी**
01	फसल बीमा योजना से संबंधित मामलें	फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के किसानों को आपदा से हुए नुकसानों से बचाना एवं किसानों को खेती के लिये प्रेरित करना है। इस योजना के तहत रैयत एवं गैर रैयत किसान आवेदन कर सकते है। इस योजना हेतु रैयत किसानों के लिए आवश्यक कागजात जिसमें भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/जमीन का राजस्व रसीद वर्तमान वित्तीय वर्ष का होना चाहिये एवं स्व घोषणा पत्र होना चाहिये तथा गैर रैयत किसानों को स्व घोषणा पत्र वार्ड सदस्य/किसान सलाहकार से सत्यापित होना चाहिए। इस हेतु किसान ऑनलाईन आवेदन (pacsonline.bih.nic.in) कर सकते है। बिहार फसल सहायता योजना के तहत फसल यदि उत्पादन के 20% तक खराब होती है तो प्रति हेक्टेयर 7500 रू॰ दिये जायेंगे। यदि 20% से अधिक खराब होता है तो प्रति हेक्टेयर 10000 रू॰ प्रदान की जाती है। यह धन राशि सीधे किसानों के बैंक खाता में ट्रांसफर की जाती है।	बिहार राज्य के हर एक किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल सकता है।	संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी
02	पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा धान/गेंहूँ की अधिप्राप्ति	धान अधिप्राप्ति के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी की जाती है। धान अधिप्राप्ति पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा किया जाता है। इस हेतु किसान ऑनलाईन निबंधन (epacs.bih.nic.in) करा सकते है। धान अधिप्राप्ति हेतु हर वित्तीय वर्ष में जिला टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित लक्ष्य और तय समय सीमा के अंतर्गत जो भी निबंधित किसान मानक के अनुरूप धान लेकर पैक्स गोदाम आते हैं उन सभी किसानों से धान/गेंहूँ का क्रय किया जाता है। सहकारिता विभाग के प्रावधान के अनुसार किसान से धान क्रय के समय किसान के निबंधित मोबाईल पर धान की मात्रा का सत्यापन हेतु OTP भेजा जाता है। किसान द्वारा धान की मात्रा का सत्यापन करने के बाद OTP पैक्स के साथ साझा करते हैं तभी उनका धान का क्रय होता है।	बिहार राज्य के जो भी किसान अपनी धान को सरकारी दरों पर पैक्स या व्यापार मंडल पर बेचना चाहतें है वह ऑनलाईन निबंधन हेतु आवेदन कर सकते हैं।	संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी
03	पैक्स/व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण एवं चावल मिल-सह-	इस योजना के अंतर्गत पैक्स एवं व्यापार मंडल में गोदाम का निर्माण किया जाता है। जिसमें 200/500/1000 मे॰ टन के क्षमता वाले गोदाम का निर्माण किया जाता है।	पैक्स व्यापार मंडल ही गोदाम निर्माण की पात्रता रखते हैं।	संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी

	गैसीफायर की स्थापना			
04	सहकारी समितियों का गठन एवं निबंधन	अपने सदस्यों में स्वलंबन पारस्परिक सहायता एवं आर्थिक व्यवस्था की उन्नति का कार्य करना। इसका उद्देश्य आपसी वित्तीय प्रबंधन/कार्य कुशलता की विकास सामूहिक प्रयास से उत्पादन एवं विपणन में वृद्धि करना। इस हेतु ऑनलाईन आवेदन (epacs.bih.nic.in/societyreg) पर कर सकते हैं।	कोई भी सहकारी सोसायटी, उस सोसायटी को छोड़कर जिसका एक सदस्य निबंधित सोसायटी हो, इस अधिनियम के अधीन निबंधित नहीं की जायेगी जो 18 वर्ष से उपर की उम्र के कम-से-कम 10 व्यक्तियों की नहीं होगी एवं जिस सोसायटी का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को ऋण देने के लिये निधियों का सृजन होगा, जब तक वैसे व्यक्ति-(क) एक ही नगर अथवा ग्राम दल के निवासी न होंगे, अथवा (ख) एक हीं जनजाति, वर्ग अथवा धंधा के सदस्य न होंगे, किन्तु रजिस्ट्रार का अन्यथा निदेश अपवाद होगा।	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
05	समेकित सहकारी विकास परियोजना	परियोजना का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्थान करना, भौतिक अधिसंरचना का निर्माण, ग्रामीण स्तर पर उत्पादित वस्तुओं का भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था, समितियों को व्यवसायरत एवं आर्थिक रूप से सुदृढ बनाने हेतु कार्यशील पुंजी उपलब्ध कराना एवं सहकारी प्रक्षेत्र में मानव संसाधन का विकास है।	सहकारी समितियाँ।	महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना।